I/330926/25

संख्याः /XXVIII-3-25-e file/Comp-no-89138/2025

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर, 2025

विषय– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1st **Mother sanction for Grant-in-aid under "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Helth Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH Platform"** के अंतर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष प्रथम अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि में से राज्यांश अवमुक्त किये जाने विषयक ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त आपके कार्यालय पत्र संख्या–5प/7/बजट अनु0–1/18/2025–26/24105, दिनांक 09.09.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु हेतु भारत सरकार के शासनादेश संख्याः G-27018/14/2025–26/NHM-F(FTS–8329468) दिनॉक–16 जून, 2025 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत "1St Mother Sanction for Grant-in-aid under " Pradhan Mantri Ayushman Bharat Helth Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH Platform"के रूप में भारत सरकार से अवमुक्त 90 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि ₹ 18,25,00,000/–(रूपया अठ्ठारह करोड पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्याः– I/315816/2025 दिनांक 22.07.2025 द्वारा अवमुक्त राज्यांश रू. 7,77,778/– के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुपूरक बजट में अनुदान संख्या 12, 30 और 31 के सुसंगत लेखाशीर्षकों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न विवरण/एलॉटमेंट आई डी के अनुसार कुल **₹ 1,95,00,000/–(रूपया एक करोड़ पिचानवें लाख मात्र)** अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
ii. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की

स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।

iii. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

v. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84/ XXVII(1)/ 2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/ प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

2. यह आदेश शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03. 2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713 /9(150). 2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 एवं संख्या संख्याः 303964 /E-77886/XXVII(1)/2025दिनांक 06 जून, 2025 तथा 329896 E-79713/9(150) . 2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 12 सितम्बर, 2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक :–अलॉटमेंट आई0डी0 की प्रति सहित।

भवदीय,

Digitally signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 16-09-2025
14:32:05

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

पत्र संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/एन0आई0सी0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 16-09-2025
14:36:48

MHME-3-2/2.7/1/2025-XXVIII-3-Medical Health and Medical Education Department

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Medical & Health(S030)

HOD-PRADHAN MANTRI AYUSHMAN BHARAT HEALTH INFRASTRUCTURE MISSION (PM-ABHIM)(3991)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -012

आवंटन आई डी-S25090120004
आवंटन पत्र दिनांक-16-SEP-2025

लेखा शीर्षक	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें
	110-अस्पताल तथा औषधालय	01-केंद्र सहायतित योजना
	01-प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन	Voted

4	2	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
71-केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश	0	13111111	0	13111111
योग	0	13111111	0	13111111

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,31,11,111 (Rupees One Crore Thirty One Lacs Eleven Thousand One Hundred Eleven Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Medical & Health(S030)

HOD-PRADHAN MANTRI AYUSHMAN BHARAT HEALTH INFRASTRUCTURE MISSION (PM-ABHIM)(3991)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या -030

आवंटन आई डी-S25090300013

आवंटन पत्र दिनांक-16-SEP-2025

लेखा शीर्षक

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
110-अस्पताल तथा औषधालय
04-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम0-अभीम)

03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें
01-केंद्र सहायतित योजना

Voted

2	2	1	0	0	3	1	1	0	0	1	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
71-केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश	0	1444444	0	1444444
योग	0	1444444	0	1444444

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.14,44,444 (Rupees Fourteen Lacs Forty Four Thousand Four Hundred Forty Four Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Medical & Health(S030)

HOD-PRADHAN MANTRI AYUSHMAN BHARAT HEALTH INFRASTRUCTURE MISSION (PM-ABHIM)(3991)

आवंटन पत्र संख्या -89138
अनुदान संख्या -030

आवंटन आई डी-S25090300014
आवंटन पत्र दिनांक-17-SEP-2025

लेखा शीर्षक	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें
	110-अस्पताल तथा औषधालय	01-केन्द्र सहायतित योजना
	02-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम0-अभीम)	Voted

4	2	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
71-केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश	0	4355556	0	4355556
योग	0	4355556	0	4355556

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.43,55,556 (Rupees Forty Three Lacs Fifty Five Thousand Five Hundred Fifty Six Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Medical & Health(S030)

HOD-PRADHAN MANTRI AYUSHMAN BHARAT HEALTH INFRASTRUCTURE MISSION (PM-ABHIM)(3991)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -031

आवंटन आई डी-S25090310013
आवंटन पत्र दिनांक-16-SEP-2025

लेखा शीर्षक

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
110-अस्पताल तथा औषधालय
03-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम0-अभीम)

03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें
01-केंद्र सहायतित योजना

Voted

2	2	1	0	0	3	1	1	0	0	1	0	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
71-केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश	0	55556	0	55556
योग	0	55556	0	55556

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.55,556 (Rupees Fifty Five Thousand Five Hundred Fifty Six Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Medical & Health(S030)

HOD-PRADHAN MANTRI AYUSHMAN BHARAT HEALTH INFRASTRUCTURE MISSION (PM-ABHIM)(3991)

आवंटन पत्र संख्या -89138
अनुदान संख्या -031

आवंटन आई डी-S25090310015
आवंटन पत्र दिनांक-17-SEP-2025

लेखा शीर्षक	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें
	796-जनजाति उप योजनन	01- केन्द्र सहायतित योजना
	04-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम0-अभीम)	Voted

4	2	1	0	0	1	7	9	6	0	1	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
71-केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश	0	533333	0	533333
योग	0	533333	0	533333

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.5,33,333 (Rupees Five Lacs Thirty Three Thousand Three Hundred Thirty Three Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER